

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम म.प्र.

क्रमांक./स्था.3/MS Hindi/मा.शि.नियोजन/2026/ 968 नर्मदापुरम, दिनांक 03.07.2026

// आदेश //

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर हिन्दी विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है-

SN	ROLL NO	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	6005250707444	45	ROSHNI RAJPOOT F/H Name- JHALKAN RAJPOOT	011 BANDESUR BANDESUR GADARWARA NSP MADHYA PRADESH 487221	UR	UR/X/F	DISE- 23370615508 GOVT SANDIPANI HSS RNA PIPARIYA	Narmadapur am
2	6006250660463	54	JITENDRA F/H Name- RADESHYAM	50 SUKTA KHURD SUKTA KHURD POST DHULKOT NEPANAGAR BUR MADHYA PRADESH 450331	ST	UR/X/OP	DISE- 23360316410 GOVT SANDIPANI HSS KHIRKIYA	Harda
3	6006250669591	91	DEEPA F/H Name- GOVIND MANDRAI	408 BICHPURI MAL POST JINVANIYA SIRALI HRD MADHYA PRADESH 461331	SC	SC/X/F	DISE- 23360104906 GOVT SANDIPANI HSS ABGAONKALA	Harda
4	6004250653594	104	SARITA HARODE F/H Name- DHANUSHRAM HARODE	31 VILL POST MANDVI ATHNER ATHNER BET MADHYA PRADESH 460110	OBC	OBC/X/F	DISE- 23350321403 GOVT SANDIPANI HSS AGRICULTURE BETUL BAZAR	Betul
5	6008250688529	173	SEEMA SHUKLA F/H Name- SHOBHA NATH PATHAK	1 TO 180 TAK BEERKHAM BEERKHAM SEMARIYA REW MADHYA PRADESH 486445	EWS	EWS/X/F	DISE- 23370306306 GOVT SANDIPANI HSS AGRICULTURE PAWARKHEDA	Narmadapur am
6	6006250774304	203	ARUNA F/H Name- CHANDAR SINGH MANDLOI	WARD 7 VILLEGE BRAHMDHAD MAL POST BOTHIYA KHURD TEHSIL HARSUD KHD MADHYA PRADESH 450116	OBC	GF/UR/X/F	DISE- 23360316409 PMSHri-GHSS GIRLS KHIRKIYA(6 to 12)	Harda
7	6006250678724	408	KAVITA PATEL F/H Name- RAJESH PATEL	MAKAN NO 425 WARD NO 13 GRAM KHARKALAN KHALWA KHD MADHYA PRADESH 450051	OBC	GF/UR/X/F	DISE- 23360202505 GOVT SANDIPANI HSS KARTANA	Harda
8	6005250645965	922	SANJAY KUMAR F/H Name- JAMNA PRASAD	00 TIRODI KATEDARA KATEDARA TIRODI BLG MADHYA PRADESH 481445	OBC	OBC/S/OP	DISE- 23350101230 GOVT SANDIPANI HSS AMLA	Betul



9	6002250676770	1106	SURBHAN BAGHEL F/H Name- JAGAN SINGH	01 GRAM BILASA POST BHILKHEDEI TEH JOBAT ALR MADHYA PRADESH 457990	ST	ST/X/OP	DISE- 23360107902 PMSHri-GHS KARANPURA (1 to 10)	Harda
10	6006250639839	1234	TAMANNA CHOUHAN F/H Name- HARESINGH CHOUHAN	01 ROSHIYA POST DODWA BHIKANGAON KRG MADHYA PRADESH 451111	ST	ST/X/F	DISE- 23370710050 PMSHri-GHSS GIRLS SEONIMALWA(1 to 12)	Narmadapur am
11	6002250719519	1373	RAVI KUMAR PANTHI F/H Name- RAMESH KUMAR	34 WARD NO 05 KABIR BADA LATERI LATERI VID MADHYA PRADESH 464114	SC	GF/SC/X/OP	DISE- 23370206020 GOVT SANDIPANI HSS BABAI	Narmadapur am
12	6005250753423	3038	ARVIND SINGH LODHI F/H Name- INDER SINGH LODHI	114 GHANA MAILI POST KALEHRA KHEDA JABERA DAM MADHYA PRADESH 470663	OBC	GF/OBC/VH/OP	DISE- 23370310807 GOVT SANDIPANI HSS ITARSI	Narmadapur am
13	6006250681177	6866	BHAIYALAL MUZALDA F/H Name- GIRVAR SINGH MUZALDA	GRAM SUKTA KHURD POST DHULKOT NEPANAGAR BUR MADHYA PRADESH 450331	ST	GF/ST/X/OP	DISE- 23350505714 GHSS MODEL BHIMPUR(6 to 12)	Betul
14	6006250728734	7178	SUMAN F/H Name- RAMLAL	CHANDRAKHAL CHANDRAKHAL CHANDRAKHAL RAHATGAON HRD MADHYA PRADESH 461228	ST	GF/ST/X/F	DISE- 23370710048 GOVT SANDIPANI HSS SEONI MALWA	Narmadapur am
15	6002250681209	9855	KHEMRAJ SINGH RAGHUWANSHI F/H Name- RAMADHAR SINGH RAGHUWANSHI	11 AT POST CHIKHLIKALAN POST CHIKHLIKALAN MULTAI BET MADHYA PRADESH 460663	EWS	UR/S/OP	DISE- 23350814601 GOVT SANDIPANI HSS MULTAI	Betul
16	6002250652072	32519	PRATIK KUMAR KHATRKAR F/H Name- SHIVJI KHATRKAR	NA ARJUN WARD KHANJANPUR BETUL BET MADHYA PRADESH 460001	SC	SC/S/OP	DISE- 23350705415 HSS MODEL GHORADONGRI (6 to 12)	Betul

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छटवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800-103600 के न्यूनतम वेतन रुपये 32800/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों



127

को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
- X. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XI. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
- XII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XIII. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)
- XIV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।



137

3.7.2026

संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग
नर्मदापुरम

नर्मदापुरम, दिनांक 03.07.2026

पृ. क्रमांक./स्था.3/MS Hindi/मा.शि.नियोजन/2026/969
प्रतिलिपि:-

01. विशेष सहायक, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
03. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
04. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।
05. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
06. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
07. संभागायुक्त नर्मदापुरम मध्यप्रदेश ।
08. कलेक्टर जिला नर्मदापुरम/हरदा/बैतूल, मध्यप्रदेश ।
09. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम/हरदा/बैतूल, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
11. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति देवें।

3.7.2026
संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग
नर्मदापुरम